

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 मार्च 2021 — चैत्र 4, शक 1943

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-01/आठ-परि/2021.— भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का/आ/1080 (ई), दिनांक 30 नवम्बर, 2000 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पंजीयन प्राधिकारी को वाहनों के पंजीयन चिन्ह के उपयोग करने के लिए उसके सम्मुख कॉलम (3) में की गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोड नंबर आबंटित करती है, अर्थात्:-

सारणी

सरल क्रमांक	पंजीयन प्राधिकारी	कोड नंबर
(1)	(2)	(3)
1.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	सी0जी0-31

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 24th March 2021

NOTIFICATION

F. No. 5-01/trans-VIII/2021.— In pursuance of Government of India, Ministry of Road Transport and Highway's Notification No. S.O. 1080 (E), dated 30th November, 2000, The State Government, hereby, allots to the Registering Authority Specified in column (2) of the table below, the code number specified in the corresponding entry in column (3) thereof for use in registration mark of the vehicle namely:-

TABLE

S. No.	Registering Authority	Code No.
(1)	(2)	(3)
1.	Gaurela-Pendra-Marwahi	CG-31

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.